संख्या- 8 /पी-113 /अड्तीस-9-14-03(पीएमजीएसवाई)/2012

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 ग्रामीण सड्क विकास अभिकरण
लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक- 13 फरवरी, 2014

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3677/टी-54/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2014, दिनांक- 22-01-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि क्रमश: रू0 23,00,00,000/-(रूपये तेईस करोड मात्र) के सापेक्ष्य वन विभाग की भूमि का मुआवजा दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या-पी-392/अड्तीस-9-2013-03(पी0एम0जी0 एस0वाई0)/2012, दिनांक-10-04-2013 तथा संख्या-3/पी-84/अड्तीस-9-2013-03 (पीएमजीएसवाई)/2012, दिनांक-17.01.2014 द्वारा क्रमश: अवमुक्त धनराशि रू0 15.04 लाख एवं रूपये 9,60,000/-(रूपये नौ लाख साठ हजार मात्र) के दृष्टिगत अवशेष धनराशि में से रूपये 23,41,680/-(रूपये तईस लाख इकतालीस हजार छ: सौ अस्सी मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- धनराशि जिन मदों के लिए स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जाय, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28 मार्च, 2013 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- "5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सडके-337-सडक निर्माण कार्य-03-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-105/दस-2014, दिनांक- 31 जनवरी, 2014 द्वारा दी गयी सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://upsarkaadesh.up.nic.in

संख्या- 8 /पी-113 (1) /अड़तीस-9-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1/2 ।
6- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in